न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 39 / 19
(आरसीएमएस संख्या 2019 / 00199)

निर्णय दिनांकः 15—11—2019

1. दुर्गादेवी पत्नी श्रीकृष्ण जाति स्वामी निवासी जसवन्तसर तहसील लूणकरनसर

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मघदास पुत्र कासूदास जाति स्वामी निवासी जसवन्तसर तहसील लूणकरनसर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 31—07—2019
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 31—07—2019 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा जसवन्तसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 140 तादादी 10 बीघा, खसरा नम्बर 157 तादादी 10 बीघा, खसरा नम्बर 158 तादादी 12 बीघा 10 बिस्वा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी तरमीमशुदा भूमि है। जिस पर मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के धारण की भूमि के चिपते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होगी। अपीलांट द्वारा कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। संबंधित तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करते हुए उनके कथनानुसार रिपोर्ट तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान नहीं किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक ने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अन्य व्यक्ति के कहने में है तथा अपीलांट को तंग व परेशान कर अपीलांट के धारण की भूमि को येन–केन–प्रकारेण अपने नाम करने पर अमादा है। अपीलांटा एक वृद्व महिला है। अपीलांट की जीविका का एकमात्र साधन यह भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में उसके हिस्से की भूमि पर न तो काश्त करने दे रही है ना ही अन्य किसी काश्तकार को ठेके पर दे पा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों ही अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने हेतू स्वतन्त्र है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् व वादगत् भूमि के बाबत् प्राप्त मौका रिपोर्ट के उपरान्त वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा जबरिया कब्जा करने का कथन किया गया है।

(4) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। प्रकरण में जहॉ तक एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के धारण की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास का कथन है। इस संबंध में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16–07–2019 के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–07–2019 को टीम गठित करते हुए वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट व सीमाज्ञान करवाया गया है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि सरहद ग्राम दुदेर व जसवन्तसर के खेत खसरा नम्बर 130 को केन्द्र मानकर मौके पर जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया। सीमाज्ञान करने पर खेत खसरा नम्बर 139 व 140 की भूमि खसरा नम्बर 138 में पाई गई व इसी प्रकार खेत खेत खसरा नम्बर 140 व 157 की भूमि खेत खसरा नम्बर 139 व 156 में दबी पाई गई। उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद सीमाज्ञान को लेकर है। ऐसी स्थिति में यदि दौराने वाद यदि पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ व मौके पर तनाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(5) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक दोनों पक्षकारों को वादगत् भूमि के मौके, कब्जे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है ना ही उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। जहॉ तक वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण का प्रश्न है, उक्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने अपने धारण की भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने–अपने कब्जे की भूमि पर काबिज काश्त है। पूर्व में न्यायालय हाजा के आदेश के अनुसरण में तहसीलदार, लूणकरनसर के द्वारा टीम गठित करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उक्त तथ्य सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत होने पर वादगत् भूमि के दौराने वाद विवाद बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुवधि का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट के पक्ष में मानते हुए वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि रोही मौजा ग्राम जसवन्तसर तहसील लूणकरनसर के मूल खसरा नम्बर 36/239/2 तादादी 10 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 139 तादादी 2.53 हेक्टर, पुराने खसरा नम्बर 38/251/2 तादादी 10 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 156 तादादी 2053 हेक्टर कुल तादादी 20 बीघा (5.06 हेक्टर) के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये है जिसके व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अपीलांट अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 31–07–2017 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 15–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.03 17:28:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: